

कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद
संख्या 39 / सी0आर0ए0 / दै0आ0-जम्मू-क0आपदा-2014 दिनांक 18 2014
आदेश

श्री लवकुश कुमार त्रिपाठी
उप जिलाधिकारी
सदर

प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0शासन के पत्र संख्या 1766के/छः-सानिप्र -14 -15 (36) 2014 दिनांक सितम्बर 11, 2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जम्मू व कश्मीर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आयी भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में जनपद स्तर पर सूचना संकलन, सत्यापन, व सहायताकार्य जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

इस कार्य हेतु शासन ने पारपत्र प्रकोष्ठ की स्थापना एवं प्रभारी पारपत्र बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। शासन के निर्देशों के अनुपालन में कलक्ट्रेट मुख्यालय पर पारपत्र प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है तथा आपको प्रभारी जिला पारपत्र प्रकोष्ठ अधिकारी नामित किया जाता है।

आप जिला पारपत्र प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रकोष्ठ का विवरण फोन/फैक्स सहित आदि का विवरण जन सामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रानिक प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से तत्काल प्रचारित/प्रसारित करायेंगे और जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करायेंगे। साम्प्रदायिकता नियन्त्रण प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर लापता व्यक्तियों के संबंध में प्राप्त होने वाली सूचना को संकलित कर उसका डाटाबेस तैयार करेगा और उसका सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से करायेगा। संकलित कर उसका डाटा बेस तैयार करेगा और उसका सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी से करायेगा। किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर इस प्रकोष्ठ द्वारा लापता व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर जानकारी दी जायेगी।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद

संख्या व दिनांक उपरोक्त
प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन साम्प्रदायिकता नियन्त्रण प्रकोष्ठ गृह विभाग लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि शासन के निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3- उप जिलाधिकारी कायमगंज/अमृतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17.9.14
(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद